

सर्वजनिक सूचना



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड



सर्वजनिक सूचना सं: 001/तलवाड़ा/2021-22

यह आम जनता को यह सूचित किया जाता है की निम्न उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाईनें नीचे बताये गए स्थानों पर चल रही हैं :-

क्रम सं:	लाईनों के नाम	स्थान
1.	33 के.वी. अबादगढ़ (मीरथल) से संसारपुर टैरस लाईन (हि.प्र.)	आबादगढ़, मीरथल, मीलवां, मानसर, छत्रो चनोर, शिवो चक्क, खानपुर, भनखुह, बारीयोवाल, कुलीयां, खुंडा, गुरुद्वारा गड़ा साहिब, हाजीपुर, गेरा, झीर दा खुह, नमोली, भटोली, गवाल चक्क सिंधारू, चौधरी दा बाग, भोडे दा खूह, श्री पंडियान, राम नंगल, डोहर, भेड़ा, सांडपुर-1, सांडपुर-2, तलवाड़ा, हलेड़, नगर, रजवाल, संसारपुर टैरस (हि.प्र.) इत्यादि ।
2.	11 के.वी. पोंग सिवच्य यार्ड से संसारपुर टैरस (हि.प्र.) डब्ल सर्कट लाईन	पोंग, गमरूर, बाबा घाटी, बरनाली, संसारपुर टैरस इत्यादि ।
3.	11 के.वी. तलवाड़ा- I एवं तलवाड़ा- II सर्कट संसारपुर टैरस से 66 के.वी. स्व-स्टेशन सैक्टर-4 तलवाड़ा	संसारपुर टैरस, रजवाल, हलेड़, नगर, तलवाड़ा, सांडपुर-1, सांडपुर-2, भेड़ा, डोहर, राम नांगल, पुराना तलवाड़ा, सुभाष नगर और बीबीएमबी कॉलोनी इत्यादि ।

भारतीय विधुत अधिनियम 1910 (नियम संख्या 18 उप नियम संख्या 3), नियम संख्या 80 उप नियम (1 b, 2 c) और 82 A के भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार उक्त लाईनों के नीचे एवं आस-पास वृक्षा रोपण तथा घरों/भवनों का निर्माण करना निषिद्ध है। अनापयुक्त क्लियरेंस इलैक्ट्रीसिटी के ट्रांसमिशन में बाधा डाल सकती है तथा बिजली लाइनों के रख रखाव में रुकावट पैदा कर सकती है। इससे व्यक्ति, भवन/ वृक्षा रोपण के मालिकों की संपत्ति के नुकसान का खतरा रहता है। यदि कोई उक्त नियमों के उल्लंघन में लाइनों के नीचे/निकट भवनों का निर्माण/वृक्षा रोपण करता है तो उसके खिलाफ भारतीय विधुत अधिनियम के अनुसार कारवाई की जाएगी तथा वह बीबीएमबी अथवा किसी तृतीय पक्ष के नुकसान / क्षति हेतु पुर्ण तौर पर जिम्मेदार होगा।

उपमंडल अधिकारी,
पी एम & ट्रांसमिशन उपमंडल
बीबीएमबी तलवाड़ा

कार्यकारी अभियंता
विधुत मंडल
बीबीएमबी तलवाड़ा